तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज **न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम0 3 अजमेर** **दीवानी वाद सख्या 17/2014** **सीआईएस संख्या 204/2015** **डॉ. कृष्ण बिहारी गर्ग बनाम उषा अग्रवाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.25	अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 5 उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 7, 10, 11, 12, 16, 23, 25, 27, 28, 29 व 31 के विरूद्ध आदेश दिनांक 04.01.2017 द्वारा, प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 4, 13, 14, 15 व 33 के विरूद्ध आदेश दिनांक 01.11.2017 द्वारा, प्रतिवादीगण संख्या 6, 9, 17 से 22, 26 व 32 के विरूद्ध आदेश दिनांक 04.05.2019 द्वारा, प्रतिवादीगण सं. 24 व 30 के विरूद्ध आदेश दिनांक 05.02.2020 द्वारा एवं प्रतिवादी संख्या 8 के विरूद्ध आदेश दिनांक 03.08.2022 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है। वहीं प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु होना बताया गया है। प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 सपठित धारा 151 सपठित आदेश 22 नियम 3 सीपीसी दिनांक 02.01.21, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 02.03.22, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 दिनांक 17.4.23 व 25.04.23, दो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 सीपीसी व धारा 5 परिसीमा अधिनियम दिनांक 15.05.23 तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 2 सपठित धारा 151 दिनांक 27.2.24 पर बहस सुनी गयी। दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 सपठित धारा 151 सपठित आदेश 22 नियम 3 सीपीसी दिनांक 02.01.21 अधिवक्ता प्रार्थिया एलिस गर्ग की ओर से निवेदन किया गया कि प्रकरण में वादी डॉ. कृष्ण बिहारी गर्ग का दिनांक 10.12.2020 को देहान्त हो चुका है तथा उनके द्वारा अपनी वसीयत निष्पादित कर अपनी तमाम सम्पत्तियों का हक व हिस्सा प्रार्थिया श्रीमती एलिस गर्ग जो कि वादी की पत्नी है, को दिया गया है। अतः वादी की मृत्यु होने से वसीयत के माध्यम से वह एकमात्र विधिक प्रतिनिधि है, अतः उसे विधिक प्रतिनिधि के तौर पर प्रकरण में रिकॉर्ड पर लिया जावे। जिसके जवाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 5 द्वारा विधिनुसार आदेश पारित करने का निवेदन किया गया। वहीं शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने तथा प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु होने पर पृथक से उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से कोई बहस नहीं की गयी। मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया द्वारा वादी की मृत्यु दिनांक 10.12.2020 को होना बताया गया है तथा इसके सम्बंध में मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश की गयी एवं विहित परिसीमा अवधि में दिनांक 02.01.	

	2021 को उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। साथ ही वसीयत नामा दिनांक 09.10.2020 की प्रति पेश की गयी है, जिसके अवलोकन से दर्शित है कि स्व. डॉ. कृष्ण बिहारी गर्ग द्वारा वादग्रस्त सम्पत्तियों बाबत अपनी पत्नी श्रीमती एलिस गर्ग को अधिकारी बनाया है। वादी द्वारा हस्तगत वाद सम्पत्तियों के विभाजन बाबत पेश किया गया है, जिसमें वादी की मृत्यु की दशा में उसके वारिसों के पक्ष में वादकारण शेष रहता है तथा वसीयत के प्रकाश में प्रार्थिया का एकमात्र विधिक प्रतिनिधि होना दर्शित होता है। अतः न्यायोचित प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थिया श्रीमती एलिस गर्ग को वादी स्व. कृष्ण बिहारी गर्ग के विधिक प्रतिनिधि के तौर पर रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। इसी स्तर पर पूर्व में प्रतिवादी सं. 1, 16, 17, 18 व 32 की मृत्यु होने व उनके विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने के सम्बंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर भी बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्रों में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये बहस की व निवेदन किया कि जैसे ही उनकी जानकारी में उक्त प्रतिवादीगण की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई, उनके द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर दिये गये है तथा उक्त प्रतिवादीगण के विधिक वारिसान बाद तामील भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आये है तथा प्रतिवादीगण उक्त की मृत्यु होने से उनके विधिक प्रतिनिधियों में वादकारण शेष रहता है। अतः उक्त प्रतिवादी सं. 16, 17, 18 व 32 के प्रार्थना पत्रों में वर्णितानुसार वारिसों को रिकॉर्ड पर लिया जावे व प्रार्थना पत्र पेश करने में हुयी देरी को क्षमा किया जावे। साथ ही प्रतिवादीया सं. 1 के वारिस पूर्व से रिकॉर्ड पर होना व अन्य कोई वारिस की जानकारी नहीं होने से उक्त प्रतिवादीया के नाम के आगे मृतका शब्द अंकित किया जावे। मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली एवं संबंधित विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया। जैसा कि पूर्व में वर्णित किया जा चुका है कि हस्तगत प्रकरण वादी द्वारा सम्पत्तियों के विभाजन बाबत पेश किया गया है, जिसमें प्रतिवादीगण की मृत्यु की दशा में वादकारण उनके विधिक वारिसों में शेष रहना दर्शित है तथा उक्त प्रतिवादी सं. 16, 17, 18 व 32 के विधिक वारिसान बाद तामील अनुपस्थित रहे है। अतः वादी के कथनों का कोई खण्डन नहीं हो पाया है। वहीं जहां तक परिसीमा अवधि का प्रश्न है, वादी द्वारा जानकारी मिलते ही प्रार्थना पत्र पेश करना बताया गया है व जिस तथ्य का कोई खण्डन अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 5 द्वारा नहीं किया गया है तथा शेष प्रतिवादीगण समस्त के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है। अतः बाद गौर उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4	

	सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 02.03.22, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 दिनांक 17.4.23 व 25.04. 23, दो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 सीपीसी व धारा 5 परिसीमा अधिनियम दिनांक 15.05. 23 तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 2 सपठित धारा 151 दिनांक 27.2.24 स्वीकार कर प्रतिवादी सं. 16, 17, 18 व 32 के प्रार्थना पत्रों में वर्णितानुसार विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रतिवादीया सं. 1 के प्रतिवादीगण के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होने से उसके नाम के आगे मृतका शब्द अंकित करने का आदेश दिया जाता है। आदेश सुनाया गया। संशोधित शीर्षक आदेशों की अनुपालना में पेश करने हेतु अधिवक्ता वादी द्वारा समय चाहा गया। प्रकरण टार्गेट पत्रावली है। आईन्दा आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित शीर्षक एवं जवाब दावा हेतु दिनांक 24.10. 2025 को पेश हो। **अपर सेशन न्यायाधीश,** **क्रम–3, अजमेर**	